मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा

(पीठसीन अधिकारी प्रशासन गांव के संग अभियान/कैम्प कोर्ट)

पीठसीन अधिकारी :– श्रीमती शकुंतला चौधरी आर0ए0एस0

जयवीर पुत्र हरदत सिंह जाति जाट निवासी नेठराना

उनवान बनाम

1 हरदतसिंह s/o बेगराज
2 दरिया सिंह
3 सरला
4 चन्द्रकला] पुत्र - पुत्रियान हरदतसिंह जाति जाट निवासी नेठराना
5 PNB (OBC) शाखा नेठराना
6 तहसीलदार भादरा।

दावा बाबत :– 88 RT Act

मुकदमा नम्बर :– 210/2021

निर्णय दिनांक :– 10/11/2021

वादी की ओर से वकील राजेश बैनीवाल की व प्रतिवादीगण की ओर से वकील सतवीर बैनीवाल की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 10/11/21 को मुझ शकुंतला चौधरी उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि रोही मौजा चक 1 बारानी के खाता सं. 141/69 के मु०नं० 3 के किला नं० 13 ता 18, 23, 24 मु०नं० 6 के किला नं० 3, 4, 7, 8, 13, 14, 16 ता 18, 23 ता 25, मु०नं० 9 के किला नं० 1 ता 3, 8 ता 10 कुल किता 26 की कुल 6.5780 है० बारानी मय रास्ता प्रतिवादी हरदतसिंह के नाम दर्ज है, इसी प्रकार चक 5 BRW के खाता सं. 83/42 के मु०नं० 50 के किला नं० 1, 2, 9 ता 12, 19 ता 22, मु०नं० 51 के किला नं० 6 ता 10 के कुल किता 15 की कुल 3.795 है० नहरी मय रास्ता खाला प्रतिवादी हरदतसिंह के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। उक्त वाद भूमि में वादी जयवीर 1/5 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 हरदतसिंह 3/5 हिस्सा व प्रतिवादी सं. 2 दरिया सिंह को 1/5 हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। चूंकि प्रतिवादी सं. 3 व 4 ने अपना सम्पूर्ण हक व हिस्सा प्रतिवादी सं. 1 के पक्ष में तर्क कर शून्य कर लिया है। इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटी अदा हो। यदि भूमि बैंक के रहन दर्ज है तो रहन मुक्त होने पर उपरोक्त घोषणा अनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरुस्त किया जावें।

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 10/11/21 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(शकुंतला चौधरी)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़